अनुसूची–14 फर्म सं0–563

ओदश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

26.02.19

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्त्ता,गुमला

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 – 01/2018–19

ज्योति खेस ..... प्रथम पक्ष

बनाम

सरोज एक्का ..... द्वितीय पक्ष

अधिवक्ता

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता – श्री मदन कुमार साहु

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता – श्री एम0 गोप

आदेश

प्रस्तुत वाद ज्योति खेस, पिता – अलबर्ट खेस, ग्राम – दुन्दुरिया, थाना वो जिला – गुमला द्वारा अंचल अधिकारी, गुमला दिनांक – 12.10.2017 को स्वीकृत दाखिल–खारिज वाद संख्या – 453 R 27/2017–18 में पारित आदेश के विरूध लाया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
गुमला	75	1396	0.10 एकड़

आवेदन के आलोक में कार्रवाई आरम्भ कर नोटिस निर्गत किया तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख का मांग किया गया।

प्रथम पक्ष का बहस व लिखित बहस :–

अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा 2120/2006 दिनांक – 31.08.2006 द्वारा निबंधित पट्टा से प्रश्नगत भूमि हासिल किया है तथा लगान अदा किया जा रहा है।

(2) उत्तरवादी सरोज एक्का अपीलर्थी द्वारा खरीदगी भूमि के हिस्से का प्लॉट संख्या – 1396 सं रकबा – 0.10 एकड़ रजिस्ट्री पट्टा संख्या – 2476/2007 के माध्यम से वर्ष – 2017– 18 दाखिल–खारीज नहीं करा सकी।

(3) यह मामला दोहरा जमाबंदी का मामला है।

अतएव अपील स्वीकृत कर विपक्षी का दाखिल–खारिज किया जाए।

प्रस्तुत साक्ष्यों की छायाप्रति :–

1. मलगुजारी रसीद, शुद्धि पत्र, बिक्री पट्टा – 2128/06
2. नापी प्रतिवेदन, सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कागजात, लीगल नोटिस, कम्पलेंट केश – 74/18 का आवेदन।
3. एम0 वाद संख्या – 208/17 एवं 305/17 में निर्गत नोटिस।

द्वितीय पक्ष का बहस वलिखित बहस :–

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में द्वितीय पक्ष का रखा गया जिसमें रजिस्टर्ड डीड संख्या – 2476 दिनांक – 10.01.2007 से प्राप्त किया गया है तथा शान्तिपूर्ण दखलकार है एवं रसीद कटा रही है।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा विधिवत दाखिल–खारिज स्वीकृत होकर सीमांकन के उपरान्त प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है।

अतएव द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा जायज है।

प्रस्तुत साक्ष्यों की छायाप्रति :–

1. सरोज एक्का को बिक्री किया गया रजिस्ट्री पट्टा संख्या – 2476

दिनांक – 01.01.2007

2. L.R.D.C द्वारा अनुमति वाद संख्या – 209/2007–08 की छायाप्रति।
3. शुद्धि पत्र (Correction Slip) एवं लगान रसीद की छायाप्रति।
4. न्यायालय अनुमण्डल के वाद संख्या – M 305/2017 सीमांकन आदेश।
5. ट्रेस मैप।

<u>सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त मन्तव्य</u> :–

दाखिल–खारिज वाद संख्या – 453 R 27/2017–18 खारिज करने योग्य है।

समीक्षा :– दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व साक्ष्यों की प्रति से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष एक ही खाते से अलग–अलग जमीन क्रय किया गया है।

दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा विक्रेता दौलेन उराँव वल्द सुधु उराँव से भूमि अलग–अलग पट्टे से नियमतः प्राप्त कर दोनों पक्षों का दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न यह उठता है कि विक्रेता का कुल भूमि में से दोनो विक्रेता को बेचा गया है या चूँकि अंचल द्वारा सीमांकन वाद संख्या – 14/18–19 द्वितीय पक्ष सरोज एक्का द्वारा कराया गया है, जिसके संपुष्टि में अंचल अमीन का ट्रेस नक्शा की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय, गुमला के एम0 – 307/17 के आदेशानुसार सम्पन्न किया गया है। जिसमें यह उल्लेख है कि वह प्लॉट में जमाबंदी पंजी – II में सरोज एकका द्वितीय पक्ष का जमाबंदी कायम है।

<u>निष्कर्ष</u> :– उपरोक्त समीक्षा दाखिल–खारिज अपील वाद जो दाखिल–खारिज – 453 R 27/17–18 अंचल अधिकारी, गुमला ही

स्वीकृत कर जमाबंदी कायम किया गया है।

अतः द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा भी है तथा भवन निर्मित है ऐसी स्थिति में अपील स्वीकृत किया जाना भी नियमानुकुल नहीं होगा फलतः वाद प्रतिप्रेषण (Remand) किया जाता है।

लेखापित

26/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

26/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।